

रडर

06⁰⁰/₂₄ पत्रावली पैरा दुर्ग। वकुलाय उपस्थित।

मूल वाद खारिज हो चुका है जिससे उक्त
T.I. प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता
है। लिहाजा उक्त T.I. प्रार्थना पत्र चलने योग्य
नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार हैकर नम्बर से कम है।



3
सहायक कमिश्नर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली